

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(52)न्याय / 2015

जयपुर, दिनांक

7 MAR 2017

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के समुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.) | विभाग का नाम | परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है |
|----------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. | हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी | जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग सचिवालय, जयपुर | डिस्ट्रीक्ट जज कैडर-2017 |

शर्तः-

- परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- उक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

-४०-

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

अग्रवाल 07/03/17
संयुक्त शासन सचिव